कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांक: एफ 14( )2019 / झालावाड़ रोड़ / एफसीए / प्रमुवसं / 6268 दिनांक 31-05-23

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

विषय:– Construction of approach road to foosod mata ji FP/RJ/ROAD/152647/2022

संदर्भ:–आपका पत्रांक 6415 दिनांक 20.10.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाऐं / स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:–

1. संलग्न के0एम0एल0 फाइल में वन भूमि का सीमा विवरण संलग्न नही किया गया है।
2. संलग्न डी0जी0पी0एस0 मेप में गैर वन भूमि का खसरा संख्या 510 गैर वन भूमि में दर्शाया जावें।
3. प्रस्ताव में संलग्न किये गये वैकल्पिक मार्गो में एलायमेंट – 2 में वन भूमि 0.4920 है0 आती है तो उस मार्ग के प्रस्ताव का चयन नही करने के कारण स्पष्ट किये जावे।
4. प्रस्तावित मार्ग में गैर वन भूमि में मकान आदि आना दृश्यमान है जबकि प्रस्ताव में कोई विस्थापन होना नही दर्शाया गया है।
5. खसरा अनुसार रिपोर्ट में 260 ने का खसरा वन विभाग के नाम नही है।
6. उप वन संरक्षक द्वारा वन भूमि का विधिक अस्तित्व प्राइवेट राजस्व लिखा गया है जबकि उक्त क्षेत्र वन विभाग की खातेदारी में है।
7. यूजर ऐजेन्सी उक्त ग्राम में प्राप्त वन/गैर वन भूमि को पृथक पृथक रंग से दर्शाया जाकर आस पास की सीमा बनायी जावे।
8. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण संलग्न नही किया गया है।
9. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 8 में वन्यजीव की उपस्थिति का विवरण संलग्न नही किया गया है।
10. प्रकरण में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण एवं उससे संबंधित दस्तावेज यथा 100 वृक्षों की क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना, डी0जी0पी0एस0 मेप एवं जी0टी0 शीट मेप, स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही किये गये है।
11. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित वन भूमि 0.41 है0 हेतु किया गया है जबकि प्रस्तावित वन भूमि 0.59 है0 है।
12. वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नही है।
13. उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंषा नही की गयी है।

उक्त आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

31/5

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ 14( )2019 / झालावाड़ रोड़ / एफसीए / प्रमुवसं / 6269-70 दिनांक 31-05-23

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप वन संरक्षक, कोटा।
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड– इटावा.

31/5

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय उपवन संरक्षक, कोटा

क्रमांक एफ8() एफसीए/3/... /4656 दिनांक 08.06.023

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड इटावा को लेकर लेख है कि क्रम सं 1 से 5 व 7 की पालना कर प्रेषित करें।

उप वन संरक्षक
कोटा (राज.)